राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1968/2025

सतवीर

–अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर
3. खण्ड पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सह उप निदेशक, हनुमानगढ।
4. श्री बनवारी लाल, एलएसए उपकेन्द्र Jhansal तहसील भादरा जिला हनुमानढ।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.02.2025
आदेश की दिनांक : 05.03.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद गोयल, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर उपकेन्द्र Jhansal तहसील भादरा जिला हनुमानढ में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/ स्थानांतरण उपकेन्द्र झांसल हनुमानगढ से उपकेन्द्र ग्वालनाडा बालोतरा में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.08.2024 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी की नियुक्ति 21वी पशुगणना में लगी हुई है। आलोच्य आदेश के बिदु संख्या–6 में स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग कार्मिक को पशुगणना कार्यपूर्ण होने के उपरांत की कार्यमुक्त करें। अतः आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया।

4. हम पाते हैं कि स्थानांतरण आदेश दिनांक 13.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उपकेन्द्र ग्वालनाडा बालोतरा किया गया है। अपीलार्थी की ड्यूटी पशुगणना में लगी हुई है। अतः आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में नोट संख्या–6 के दृष्टिगत रखते हुए इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि अपीलार्थी को पशुगणना कार्यपूर्ण होने तक वर्तमान स्थान पर कार्यरत रखा जावें, जहां वह चुनौती आदेश जारी किये जाने से पूर्व कार्यरत था। अपीलार्थी को नवीन पदस्थापन हेतु पशु गणना कार्य सम्पन्न होने के पश्चात ही कार्यमुक्त किया जावे।

5. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
(सदस्य)